वसीयत / अमृता प्रीतम

अपने पूरे होश-ओ-हवास में
लिख रही हूँ आज
मैं वसीयत अपनी

मेरे मरने के बाद
खंगालना मेरा कमरा
टटोलना, हर एक चीज़
घर भर में, बिन ताले के
मेरा सामान.. बिखरा पड़ा है

दे देना... मेरे खवाब
उन तमाम.. स्त्रियों को
जो किचेन से बेडरूम
तक सिमट गयी.. अपनी दुनिया में
गुम गयी हैं
वे भूल चुकी हैं सालों पहले
खवाब देखना !

बाँट देना.. मेरे ठहाके
वृद्धाश्रम के.. उन बूढों में
जिनके बच्चे
अमरीका के जगमगाते शहरों में
लापता हो गए हैं !

टेबल पर.. मेरे देखना
कुछ रंग पड़े होंगे
इस रंग से ..रंग देना उस बेवा की साड़ी
जिसके आदमी के खून से
बोर्डर रंगा हुआ है
तिरंगे में लिपटकर
वो कल शाम सो गया है !

आंसू मेरे दे देना
तमाम शायरों को
हर बूँद से
होगी ग़ज़ल पैदा
मेरा वादा है !

मेरा मान , मेरी आबरु
उस वैश्या के नाम है
बेचती है जिस्म जो
बेटी को पढ़ाने के लिए

इस देश के एक-एक युवक को
पकड़ के
लगा देना इंजेक्शन
मेरे आक्रोश का
पड़ेगी इसकी ज़रुरत
.क्रांति के दिन उन्हें !

दीवानगी मेरी
हिस्से में है
उस सूफी के
निकला है जो
सब छोड़कर
खुदा की तलाश में !

बस !
बाक़ी बची
मेरी ईर्ष्या
मेरा लालच
मेरा क्रोध
मेरा झूठ
मेरा स्वार्थ
तो
ऐसा करना
उन्हें मेरे संग ही जला देना...!!!

5 हत्याओं के लिए स्वयंभू भगवान रामपाल समेत 15 को आजीवन कारावास

रामपाल की कहानी सरकारी नौकरी से शुरू हुई और वो संत बन गया और खुद को भगवान घोषित कर दिया, मगर कानून के आगे न रामपाल की बाबागिरी काम आई, न स्वयंभू भगवान का दावा

वरिष्ठ पत्रकार जेपी सिंह की रिपोर्ट

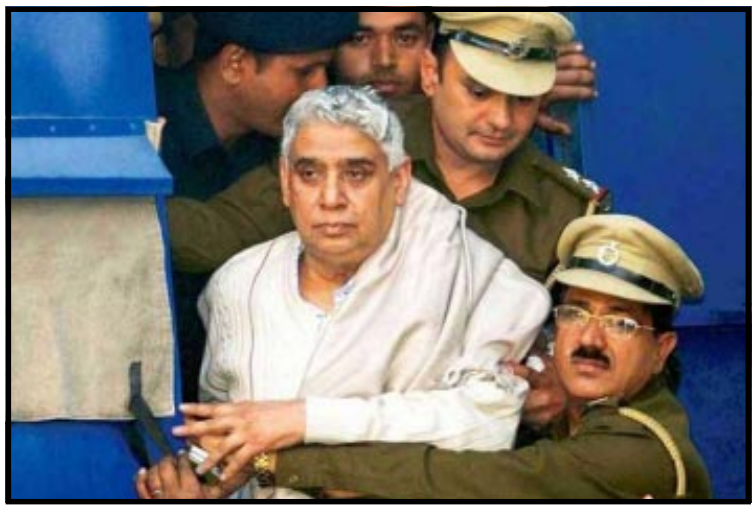

कानून के राज में कानून ब?ा है या स्वयंभू भगवान इसका खुलासा एक बार फिर हो गया जब हिसार की एक अदालत ने सतलोक आश्रम प्रकरण में स्वयंभू संत रामपाल को हत्या के दोनों मामले में आज 16 अक्टूबर को आजीवन कारावास की सजा सुना दी। रामपाल के साथ उसके 26 अनुयायियों को भी गुरुवार 11 अक्टूबर को दोषी करार दिया गया था।

हिसार के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डी.आर.चालिया ने हत्या के दोनों मामलों और अन्य अपराधों में रामपाल और उसके अनुयायियों को दोषी ठहराया था। इन हत्या के मामलों की सुनवाई लगभग चार साल तक चली है। 67 वर्षीय रामपाल और उसके अनुयायी नवम्बर, 2014 में गिरफ्तारी के बाद से जेल में बंद थे। रामपाल और उसके अनुयायियों के खिलाफ बरवाला पुलिस थाने में 19 नवम्बर, 2014 को दो मामले दर्ज किए गए थे।

सतलोक आश्रम चलाने वाले रामपाल को आज 4 महिलाओं और एक बच्चे की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। हिसार कोर्ट ने आज सजा सुनाई। रामपाल को अब जिंदगीभर सलाखों के भीतर रहना होगा। इसके साथ ही रामपाल पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। पिछले दिनों हिसार कोर्ट ने रामपाल को इस मामले में दोषी करार दिया था। इसके साथ ही एक और महिला की हत्या के मामले में रामपाल के साथ 14 दोषियों को 17 अक्टूबर को सजा सुनाई जाएगी।

कानून के आगे रामपाल की न बाबागिरी काम आई न स्वयंभू भगवान का दावा काम आया। इसके पहले आसाराम और राम रहीम के मामलों में भी अदालत से स ?ा मिलने के बाद बाबागिरी पर कानून का वर्चस्व प्रमाणित हुआ था।

सतलोक आश्रम प्रकरण में स्वयंभू संत रामपाल को हत्या के दोनों मामले में कोर्ट ने दोषी करार दे दिया है। फैसले के लिए सेंट्रल जेल में ही कोर्ट बनाया गया और अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश डी. आर. चालिया ने मामले की सुनवाई की।

मामला 2014 का है जब रामपाल के आश्रम में भड़की हिंसा में 7 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें 5 महिलाएं और 1 बच्चा भी शामिल था। फैसले के बाद रामपाल के समर्थकों द्वारा उपद्रव होने की आशंका के चलते जेल के ही अंदर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रामपाल की पेशी हुई।

जिन मामलों में रामपाल को सजा सुनाई गई है, उनमें पहला केस महिला भक्त की संदिग्ध मौत का है, जिसकी लाश उनके सतलोक आश्रम से 18 नवंबर 2014 को बरामद की गई थी। जबकि दूसरा मामला उस हिंसा से जुड़ा है जिसमें रामपाल के भक्त पुलिस के साथ भिड़ गये थे। इस दौरान करीब 10 दिन चली हिंसा में 4 महिलाएं और 1 बच्चे की मौत हो गई थी। इन दोनों मामलों में सजा का ऐलान 16 और 17 अक्टूबर को किया जाएगा।

गौरतलब है कि 18 नवंबर 2014 को सतलोक आश्रम के संचालक रामपाल को बरवाला स्थित उसके आश्रम से बाहर निकालने के लिए पुलिस ने अभियान चलाया था। कार्रवाई के पहले दिन काफी लोग घायल हुए, लेकिन रामपाल के समर्थक डटे रहे।

रामपाल के बाहर निकलने तक काफी हिंसा हुई और इस दौरान पांच महिलाओं समेत एक बच्चे की मौत हुई थी। पुलिस ने हिंसा के एक मामले में रामपाल के अलावा 15 लोगों पर और एक अन्य मामले में रामपाल समेत 14 लोगों पर केस दर्ज किया था। इन मामलों में रामपाल समेत कुल 15 लोगों को दोषी करार दिया गया है।

हिंसा में मारे गए थे 6 लोग

नवंबर 2014 को सतलोक आश्रम में पुलिस और रामपाल समर्थकों में टकराव हुआ था। इस दौरान 5 महिलाओं और एक बच्चे की मौत हो गई थी। इसके बाद आश्रम संचालक रामपाल पर हत्या के दो केस दर्ज किए गए केस नंबर-429 (4 महिलाओं व एक बच्चे की मौत) में रामपाल सहित कुल 15 आरोपी थे। वहीं, केस नंबर-430 (एक महिला की मौत) में रामपाल सहित 13 आरोपी थे. इनमें 6 लोग दोनों मामलों में आरोपी थे।

अपने को कबीर का अवतार बताता था रामपाल

खुद को संत कबीर का अवतार और भगवान घोषित करने वाले रामपाल की कहानी हिंदी फिल्मों की कहानी सरीखी है। रामपाल की कहानी सरकारी नौकरी से शुरू हुई और वो संत बन गया और खुद को भगवान घोषित कर दिया। सोनीपत की गोहाना तहसील के धनाणा गांव में 8 सितंबर 1951 को जन्मा रामपाल दास हरियाणा सरकार के सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियर की नौकरी किया करता था।

इसी दौरान उसकी मुलाकात कबीरपंथी स्वामी रामदेवानंद महाराज से हुई। रामपाल उनका शिष्य बना और नौकरी के दौरान ही सत्संग करने लगा। देखते-देखते उसके अनुयायियों की संख्या बढ़ने लगी।

आर्यसमाज के समर्थकों से हुआ झगड़ा

1999 में हिसार के पास बरवाला के करौंथा गांव में उसने सतलोक आश्रम का निर्माण किया।आश्रम बनाने के लिए उसे जमीन कमला देवी नाम की महिला ने दे दी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ सालों बाद आसपास के गांव के लोगों ने रामपाल के प्रवचनों का विरोध करना शुरू कर दिया। विरोध करने वालों में ज्यादातर लोग आर्यसमाज के थे।

2006 में रामपाल ने आर्यसमाज के संस्थापक स्वामी दयानंद की किताब को लेकर टिप्पणी की, जिससे आर्यसमाज के समर्थक बेहद नाराज हो गए। इसके बाद आर्यसमाज और रामपाल के समर्थकों के बीच हिंसक झड़प हुई और हालात काबू से बाहर हो गए। इस हिंसा में एक महिला की मौत हो गई।

पुलिस ने रामपाल को हत्या के मामले में हिरासत में लिया जिसके बाद रामपाल को करीब 22 महीने जेल में काटने पड़े।लेकिन 30 अप्रैल 2008 को वह जमानत पर रिहा हो गया। 2009 में रामपाल को आश्रम वापस मिल गया, जिसके खिलाफ आर्यसमाज के समर्थकों ने उच्चतम न्यायालय का रुख किया मगर न्यायालय ने उनकी याचिका खारिज कर दी।

हाईकोर्ट ने लिया स्वत: संज्ञान

अगस्त 2014 में हिसार जिला अदालत में उसके समर्थकों ने हुड़दंग मचाया था, जिसके बाद पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने स्वत- संज्ञान लेते हुए उसे अदालत में पेश होने को कहा। रामपाल मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट में पेश नहीं हुआ, जिसके बाद हाईकोर्ट ने उसकी गिरफ्तारी के आदेश दे दिए। पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों ने 12 दिनों की कड़ी मशक्कत के बाद उसे गिरफ्तार किया। पुलिस और रामपाल के समर्थकों के बीच हुई इस हिंसक झड़प में करीब 120 लोग घायल हो गए थे, जिनमें कई पुलिसकर्मी भी थे। सतलोक आश्रम से पांच महिलाओं और एक बच्चे की लाश भी मिली थी। आखिरकार 18 नवंबर 2014 में रामपाल को गिरफ्तार कर लिया गया। रामपाल तब से जेल की सलाखों के पीछे कैद है।

ऋषिपाल चौहान
चेयरमैन, जीवा पब्लिक स्कूल

प्रकृति व नियम

छात्रों को अवश्य ही देश के लिए बनाए गए नियमों का पालन करना चाहिए तथा अपने गुरूजनों का अवश्य ही सम्मान करना चाहिए क्योंकि गुरू का स्थान सर्वोपरि है। वहीं अध्यापकों का भी कर्त्तव्य बनता है कि वे छात्रों से प्रेम पूर्वक व्यवहार करें व प्रेम एवं संयम सिखाएं यह बहुमूल्य नियम है। जो छात्र नियमों का पालन नहीं करते उन्हें नियम पालन करने के विषय में समझाएं तथा नियम पालन के लाभ के प्रति भी प्रेरित करें। उन्हें शिक्षित करें कि नियमों का पालन करना भी देश भक्ति का ही एक मुख्य अंग है कि हम नियमों के प्रति अवश्य ही सचेत रहें एवं एक जागरूक नागरिक की भांति औरों को भी सचेत करे कि वो नियमों का पालन करें। बच्चों अपनी एक पॉकेट डायरी बनाएँ तथा उसे अपनी दिनचर्या में शामिल कर सभी अच्छे कार्यों को नोट करें। वे अपने आस-पास रहने वालों को भी प्रेरित करें कि वे अपनी प्रकृति के संरक्षण के लिए अवश्य कार्य करें जिसमें वे जीवन में एक अच्छी मिसाल प्रस्तुत कर सकें। इसी प्रकार प्रत्येक छात्र प्रतिदिन देश के लिए बनाए गए नियमों का भी पालन अवश्य करें जिससे वे सबके लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकें। हमारे जीवन का लक्ष्य स्वयं को समझने से भी है, हमारा कर्त्तव्य बनता है कि हम सर्वप्रथम स्वयं को पहचानें और उसके अनुरूप कार्य करें। इसके लिए प्रतिदिन छात्र स्वाध्याय, दिनचर्या के नियमों का पालन करें। समाज एवं राष्ट्रहित में सोचना एवं कार्य करना भी भक्ति का ही वास्तविक मूल्य है। इसी प्रकार प्रकृति व नियम पालन में संतुलन बना रहेगा।